

अध्याय-III : वाहनों पर कर

3.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग (विभाग) की प्राप्तियां, केन्द्रीय एवं राज्य मोटरयान अधिनियमों के प्रावधानों व इसके अन्तर्गत बनाये नियमों से विनियमित होती हैं एवं विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। पथकर और विशेष पथकर से प्राप्तियां, राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के प्रावधानों, उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों एवं समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं से विनियमित होती हैं।

परिवहन आयुक्त विभाग के प्रमुख होते हैं और उनकी सहायता के लिये पांच अतिरिक्त परिवहन आयुक्त तथा 12 उपायुक्त होते हैं। सम्पूर्ण राज्य 12 क्षेत्रों में विभाजित है जिनमें प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं पदेन सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, कार्यालय प्रमुख होते हैं। इसके अलावा, 51 वाहन पंजीयन एवं कराधान कार्यालय हैं जिनमें जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय प्रमुख होते हैं।

3.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग में वित्तीय सलाहकार के अधीन एक आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह है। इस समूह को अनुमोदित कार्य योजना एवं परिचालन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कर निर्धारण प्रकरणों की नमूना जांच करनी होती है जिससे कि नियमों व अधिनियमों व समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों की पालना को सुनिश्चित किया जा सके।

गत पांच वर्षों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयां	लेखापरीक्षा हेतु कुल बकाया इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयां	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयां	कमी प्रतिशत में
2013-14	-	43	43	39	4	9.30
2014-15	4	51	55	45	10	18.18
2015-16	10	57	67	66	1	1.50
2016-17	1	57	58	50	8	13.79
2017-18	8	57	65	44	21	32.31

स्रोत: सूचना परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा किये जाने में कमी का प्रतिशत 1.50 से 32.31 के मध्य रहा।

यह पाया गया कि वर्ष 2017-18 के अन्त में 5,959 अनुच्छेद बकाया थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	1994-95 से 2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	योग
अनुच्छेद	1,823	729	1,186	1,127	982	112	5,959

स्रोत: सूचना परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

इन 5,959 अनुच्छेदों में से 1,823 अनुच्छेद वर्ष 2013-14 से पूर्व की अवधि के थे, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि बकाया अनुच्छेदों पर विभाग को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेषतः पांच वर्ष से अधिक अवधि के बकाया अनुच्छेदों के निस्तारण पर अधिक विलम्ब होने पर वसूली की सम्भावना कम हो जायेगी।

सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा उठाये गये बकाया आक्षेपों के शीघ्र निपटारे के लिये समुचित निर्देश जारी करने चाहिए।

3.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों के अधीन 51 परिवहन जिले हैं एवं जहां पर 1,49,00,562 वाहन पंजीकृत है। परिवहन विभाग में कुल 122 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां थी एवं 26 क्रियान्वयन इकाइयां थी। उपरोक्त में से 33 इकाइयां¹ नमूना जांच हेतु चुनी गयी जिसमें 99,04,845 वाहन पंजीकृत थे। इनमें से 1,20,082 वाहन (लगभग एक प्रतिशत) नमूना जांच हेतु चुने गये। हमने देखा कि राशि ₹ 39.22 करोड़ के 14,418 प्रकरणों (नमूना प्रकरणों का लगभग 12 प्रतिशत) में कर की अवसूली/कम वसूली, शास्ति, ब्याज एवं प्रशमन शुल्क, कर के अनिर्धारण/कम निर्धारण, मोटर वाहन कर/विशेष पथकर की संगणना से संबंधित अनियमितताएं और दो प्रकरण अस्थाई पंजीकरण प्रमाण-पत्र शुल्क की दो निर्माताओं से अवसूली/कम वसूली से संबंधित शामिल हैं। कुछ समान प्रकार की कमियां पूर्व के वर्षों में भी ध्यान में लायी गई थी लेकिन लेखापरीक्षा करने तक ये अनियमितताएं न केवल विद्यमान थी; अपितु, पहचानी भी नहीं गयी थी। ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं, तथा हमारे द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित है। हमने देखा कि कर शुल्क और अन्य प्रभारों की वसूली को सुनिश्चित करने के लिये, पंजीकृत वाहनों के कर खातों के उचित संधारण हेतु कोई निगरानी प्रणाली विद्यमान नहीं थी। इसके अतिरिक्त, ऐसी कोई विवरणी का प्रावधान नहीं था जिससे कि उन वाहनों की संख्या दर्शित हो जिनका कर देय था लेकिन प्राप्त नहीं हुआ था या ई-ग्रॉस (ऑनलाईन सरकारी प्राप्तियों की प्रणाली (ई-ग्रॉस) में कर/कर-इत्तर राजस्व को मैन्युअल व ऑनलाईन दोनों माध्यम से संग्रहण करने की सुविधा होती है) के माध्यम से जमा कराया गया था, जो कि विभाग के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम (वाहन) से लिंक नहीं था। आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ ही आन्तरिक लेखापरीक्षा को सशक्त करने की एवं निश्चित अंतराल पर विवरणियां प्रस्तुत करने के माध्यम से एक निगरानी तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कर, शुल्क, आदि का संग्रहण सुनिश्चित हो। ये अनियमितताएं मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	कर, शास्ति, ब्याज एवं प्रशमन शुल्क, आदि की अवसूली/कम वसूली	13,586	31.82
2	कर के अनिर्धारण/कम निर्धारण, मोटर वाहन कर/विशेष पथकर की संगणना आदि से संबंधित अनियमितताएं	832	7.40
योग		14,418	39.22

¹ इन 33 इकाइयों में 16 जिला परिवहन जिलों की 10 क्रियान्वयन इकाई भी शामिल हैं।

वर्ष के दौरान, विभाग ने 8,129 प्रकरणों में ₹ 28.02 करोड़ के कम निर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 10.53 करोड़ के 2,481 प्रकरण वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2017-18 के दौरान, 1,512 प्रकरणों में ₹ 4.77 करोड़ की राशि वसूल की गयी, जिसमें से ₹ 1.84 करोड़ के 373 प्रकरण वर्ष 2017-18 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे।

उदाहरणस्वरूप राशि ₹ 37.36 करोड़ के कुछ प्रकरणों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है।

3.4 अस्थायी पंजीकरण प्रमाण-पत्र शुल्क की वसूली

राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के नियम 4.2(1)(ए) में प्रावधान है कि जब कोई मोटरयान निर्माता द्वारा पुनर्विक्रय करने के लिये, अपने व्यवहारी या उपव्यवहारी को या इसकी शाखाओं को बेचा या वितरित किया जाये तो अस्थायी पंजीकरण हेतु आवेदन किया जावेगा। नियम 4.28 में परिवहन वाहनों तथा गैर-परिवहन वाहनों के लिए अस्थायी पंजीकरण के लिए शुल्क क्रमशः ₹ 500 एवं ₹ 200 प्रति वाहन प्रति माह निर्धारित किया गया है।

3.4.1 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अलवर के वर्ष 2016-17 के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (फरवरी 2018) कि चार पहिया वाहनों के एक निर्माता (मैसर्स अशोक लिमिटेड) ने वर्ष 2016-17 के दौरान 9,269 परिवहन वाहन स्थानान्तरित किए तथा 1,589 वाहन विक्रय किये। ₹ 500 प्रति वाहन की दर से अस्थायी पंजीकरण प्रमाण-पत्र शुल्क ₹ 54.29 लाख जमा कराए जाने चाहिए थे। तथापि, निर्माता ने केवल ₹ 25.50 लाख जमा कराये, जिसके फलस्वरूप ₹ 28.79 लाख की कम वसूली हुई। उक्त राशि की वसूली हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गयी थी।

3.4.2 इसी प्रकार, दो पहिया वाहन (गैर-परिवहन वाहन) के एक निर्माता (मैसर्स हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड) ने 2016-17 के दौरान 9,55,859 दो पहिया वाहनों का उत्पादन किया। निर्माता द्वारा स्थानान्तरित/बेचे गये वाहनों पर ₹ 200 प्रति वाहन की दर से अस्थायी पंजीकरण प्रमाण-पत्र शुल्क संग्रहीत किया जाना था। निर्माता द्वारा स्थानान्तरित/बेचे गये वाहनों की संख्या संबंधी सूचना प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अलवर के पास उपलब्ध नहीं थी तथा इस तथ्य के अभिलेख भी उपलब्ध नहीं थे कि इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने हेतु काराधान अधिकारी द्वारा कोई प्रयास किये गये थे। उक्त सूचना हेतु लेखापरीक्षा द्वारा अधीक्षक, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, रेंज-XXII, नीमराना को निवेदन किया गया। प्रत्युत्तर में अधीक्षक ने सूचित किया कि निर्माता द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान 9,55,859 वाहन स्थानान्तरित/विक्रय किये गये। अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि अस्थायी पंजीकरण प्रमाण-पत्र शुल्क की राशि ₹ 19.12 करोड़ न तो निर्माता द्वारा जमा करायी गयी और न ही उक्त की वसूली हेतु प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने कोई नोटिस जारी किया।

इस प्रकार, उक्त दो प्रकरणों में विभाग द्वारा राशि ₹ 19.41 करोड़ की कम वसूली/अवसूली की गयी।

ये प्रकरण विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाये गये (जून 2018 और जुलाई 2018) विभाग ने बताया (सितम्बर 2018) कि अनुपालना हेतु प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अलवर को पत्र जारी कर दिया गया है। सरकार का प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2019)।

3.5 मोटर वाहनों पर कर की वसूली नहीं करना

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, की धारा 4 और 4-बी तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार सभी मोटर वाहनों, जिनका राज्य में उपयोग किया गया है अथवा उपयोग हेतु रखे गये हों, पर मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर का आरोपण एवं संग्रहण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जाता है सिवाय उन वाहनों को छोड़कर जिन्होंने धारा 4-सी के अन्तर्गत एकमुश्त भुगतान किया है, इसके अतिरिक्त देय कर पर पांच प्रतिशत की दर से अधिभार भी आरोपणीय है। कर का भुगतान न करने की स्थिति में अनुमत्य अवधि के पश्चात् देय कर की रकम के दुगने के अध्यक्षीन रहते हुए प्रतिमाह या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर से शास्ति भी आरोपणीय है²।

ग्यारह प्रादेशिक परिवहन अधिकारी³ एवं चार जिला परिवहन अधिकारी⁴ कार्यालयों के 2014-15 से 2016-17 की अवधि के पंजीयन अभिलेखों, कर खातों एवं सामान्य सूची पंजिकाओं की नमूना जांच के दौरान पाया गया (मई 2017 और फरवरी 2018 के मध्य) कि 2,081 वाहनों के स्वामियों द्वारा अप्रैल 2014 से मार्च 2017 की अवधि के कर का भुगतान नहीं किया गया था। अभिलेखों में इस तथ्य का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया, जो सिद्ध करते हों कि उक्त वाहन सड़क पर नहीं चल रहे थे/अन्य जिले/राज्यों को स्थानान्तरित हो गये थे या उनके पंजीकरण प्रमाण-पत्र समर्पित कर दिये गये थे। तथापि, कराधान अधिकारियों द्वारा बकाया कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप कर (अधिभार सहित) तथा शास्ति ₹ 11.49 करोड़ की अवसूली रही।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जून 2017 और जुलाई 2018)। सरकार ने सूचित किया (अगस्त 2018 और दिसम्बर 2018 के मध्य) कि 352 वाहनों के संबंध में ₹ 1.63 करोड़ की वसूली की जा चुकी हैं और 30 वाहनों के संबंध में ₹ 0.31 करोड़ अनेक कारणों जैसेकि एक मुश्त कर का जमा कराया जाना, पंजीकरण प्रमाण-पत्र को समर्पित किये जाने, वाहनों का अन्य जिलों में स्थानान्तरण किये जाने आदि कारणों से वसूलनीय नहीं थे। तथापि कर-खातों/वाहन को अद्यतन न करने के कारणों को सूचित नहीं किया गया। शेष वाहनों के संबंध में प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2019)।

3.6 एकमुश्त कर की बकाया किशतों की वसूली

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4-सी तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार परिवहन वाहनों पर एकमुश्त कर का आरोपण राज्य

² अधिसूचना दिनांक 1 मई 2003।

³ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय: अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर एवं उदयपुर।

⁴ जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय: ब्यावर, भीलवाड़ा, डीडवाना (नागौर) एवं जयपुर (भार वाहन)।

सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं⁵ द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाता है। 14 जुलाई 2014 से एकमुश्त कर का भुगतान वाहन स्वामी के विकल्प पर सम्पूर्ण एक साथ अथवा छः समान किशतों में एक वर्ष में किया जा सकता है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2011 के अनुसार एकमुश्त कर पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार भी देय है। इसके अतिरिक्त, अधिसूचना दिनांक 1 मई 2003 के अनुसार अनुमत्य अवधि की समाप्ति के पश्चात् देय कर की रकम के दुगने के अध्यक्षीन रहते हुए प्रतिमाह या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर से शास्ति भी आरोपित होगी। राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 के नियम 8 एवं 33 कराधान अधिकारी को कर की वसूली हेतु नोटिस देने का अधिकार प्रदान करते हैं।

पन्द्रह प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी⁶ कार्यालयों के वर्ष 2014-15 से 2016-17 के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया (मई 2017 और फरवरी 2018 के मध्य) कि 1,180 परिवहन वाहन स्वामियों में से 496 वाहन स्वामियों द्वारा एकमुश्त कर का भुगतान किशतों में करने का विकल्प दिया गया था। तथापि, इन वाहन स्वामियों ने प्रथम अथवा द्वितीय किशत का भुगतान करने के पश्चात् शेष किशतों का भुगतान नहीं किया। हमने यह भी देखा कि शेष 684 वाहन स्वामियों ने कर का भुगतान नहीं किया था। कर खातों या पंजीयन अभिलेखों या *वाहन* सॉफ्टवेयर में कहीं भी यह प्रविष्टि नहीं पायी गयी जिससे प्रकट हो कि वाहन स्वामियों में से किसी ने किशतों में भुगतान किये जाने हेतु किसी विकल्प का उपयोग किया हो या वाहन अन्य राज्यों को स्थानान्तरित किये गये हों या उन वाहनों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र समर्पित हो गये हों। तथापि, कराधान अधिकारियों ने देय कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप एकमुश्त कर (अधिभार सहित) तथा शास्ति राशि ₹ 6.46 करोड़ की अवसूली/कम वसूली हुई।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जून 2017 और जून 2018 के मध्य)। सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2018 और दिसम्बर 2018) कि 242 वाहनों के संबंध में ₹ 1.52 करोड़ वसूल किये जा चुके हैं और 19 वाहनों के संबंध में ₹ 0.15 करोड़ विभिन्न कारणों जैसेकि वाहनों का अन्य जिलों में स्थानान्तरण किये जाने, सरकारी वाहन होने आदि कारणों से वसूलनीय नहीं थे। तथापि कर-खातों/*वाहन* को अद्यतन न करने के कारण सूचित नहीं किये गये। शेष वाहनों के संबंध में प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2019)।

⁵ अधिसूचना संख्या 22 दिनांक 16 फरवरी 2006, 22-ए दिनांक 9 मार्च 2007, 22-सी दिनांक 14 जुलाई 2014 और 22-डी दिनांक 8 मार्च 2016।

⁶ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय: अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर (भार वाहन), जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर एवं उदयपुर।

जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय: ब्यावर, भीलवाड़ा, डीडवाना (नागौर) एवं प्रतापगढ़।

⁷ *वाहन (VAHAN)*: वाहनों के संबंध में जैसे पंजीकरण, परमिट, कर, फिटनेस से संबंधित कार्यवाही की प्रक्रिया हेतु उपयोग में लिया जाता है। *सारथी (SARATHI)* वाहन चालक अनुज्ञापत्र तथा उससे सम्बन्धित प्रक्रिया के लिए है।